

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक प0 4(1) कार्मिक/क-2/अं.प्र./2006

दिनांक-30-04-2010

परिपत्र

1. समस्त अति० मुख्य सचिव। शासन प्रमुख सचिव/ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर सहित)

विषय: विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों के आयोजन के संबंध में।

कार्मिक विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 16.12.09 के द्वारा विभागीय समिति की बैठक समय पर आयोजित करने के दृष्टिगत समय बद्ध सारणी संलग्न कर उक्त सारणी के अनुसार लम्बित सभी संवर्गों (राज्य सेवा, मंत्रालायिक सेवा, अधीनस्थ सेवा) की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठके आयोजित करवाने सुनिश्चित करने तथा प्रगति से कार्मिक विभाग को आवश्यक रूप से अवगत कराने हेतु लिखा गया था।

समस्त प्रशासनिक विभाग एवं विभागाध्यक्षों द्वारा अब तक शेष रही बकाया वर्षों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठके शीघ्र आयोजित करवाने के संबंध में समय बद्ध सारणी के अनुसार समुचित कार्यवाही कर ली गई होगी।

अतः लेख है कि जिन सेवा/पद के लिये वर्ष 2009-10 तक विभागीय पदोन्नति समिति बैठके आयोजित करना शेष है, उनके संबंध में निर्दिष्ट प्रपत्र में फैक्स (0141-2227986) द्वारा अविलम्ब भिजवाने का कष्ट करें।

विभाग का नाम _____

विभाग/ सेवा	पदनाम	पदोन्नति विभागीय समिति आयोजित शेष है।	वर्ष की किया जाना	जिसकी पदोन्नति बैठक जाना	विभागीय पदोन्नति समिति बैठक आयोजित करने के कारण	विशेष विवरण
		वर्ष	रिक्तियां			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	



(स्वमेराज)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव/सचिव मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

21/2010



शासन प्रमुख सचिव